कृषि विभाग, हरियाणा

किसान भाईयों के लिए सूचना

किसान भाईयों को सूचित किया जाता है कि सरकार द्वारा वर्ष 2016–17 के दौरान भूमि सुधार कार्यक्रम के तहत क्षारीय भूमि के उपचार हेतु जिप्सम पर 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। अनुदान पर जिप्सम लेने के इच्छुक किसान कृषि विभाग, हरियाणा की वैबसाईट **www.agriharyana.in** पर आवेदन कर सकते है । आवेदन देने के लिए किसान अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी (भूमि संरक्षण)/सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी/मण्डल भूमि संरक्षण अधिकारी के कार्यालय मे भी सम्पर्क कर सकते है । जिलावार भौतिक लक्ष्य निम्नानुसार है:–

कमांक	जिले का नाम	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	
		क्षेत्रफल (एकड़ में)	जिप्सम की मात्रा (टन मे)
1	कैथल	3250	6500
2	कुरूक्षेत्र	1350	2700
3	करनाल	2150	4300
4	पानीपत	2750	5500
5	जींद	630	1260
6	सोनीपत	2317	4637
7	अम्बाला	265	530
8	रोहतक	150	300
9	हिसार	300	600
10	फतेहाबाद	1000	2000
11	सिरसा	400	800
	कुल	**14562**	**29127**

विशेष दिशा–निर्देशः

1. भूमि सूधार हेतु अधिकतम 40 बैग प्रति एकड़ जिप्सम दिया जाएगा।
2. एक किसान को अधिकतम सात एकड़ यानि 280 बैग के लिए अनुदान दिया जाएगा।
3. जिप्सम 50 प्रतिशत अनुदान पर यानि 75 रूपये प्रति बैग (50 कि0ग्रा0) के हिसाब से दिया जायेगा।
4. अनुदान 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर दिया जायेगा।
5. जिप्सम हरियाणा भूमि सुधार एंव विकास निगम के बिक्री केन्द्रो से जिप्सम की पूरी कीमत देकर प्राप्त किया जा सकता है ।
6. यदि पंजीकृत किसान आवेदन के 15 दिन के अन्दर जिप्सम प्राप्त नही करता तो उसकी मॉग निरस्त हो जायेगी और उसको जिप्सम लेने के लिये दोबारा आवेदन करना पड़ेगा ।
7. अनुदान राशि सीधे किसान के बैंक खाते मे जमा करवाई जाएगी।
8. तकनीकी व अन्य जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी (भूमि संरक्षण)/सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी/मण्डल भूमि संरक्षण अधिकारी से सम्पर्क करें।

कृषि निदेशक